



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 356]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934

No. 356]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

का.आ. 383(अ).— केन्द्रीय सरकार, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20 के अनुसरण में कृषि में उपयोग हेतु भारत में आयातित किए जाने वाले कैल्शियम सायनामाइड के संबंध में इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए भारत में उसके विक्रय के प्रयोजन के लिए विशिष्टियां नियत करती है, अर्थात:-

कैल्शियम सायनामाइड

1	भार के आधार पर आर्द्रता का अधिकतम, प्रतिशत	1.0
2	भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन का न्यूनतम, प्रतिशत	19.5
3	भार के आधार पर सायनामाइड नाइट्रोजन का न्यूनतम, प्रतिशत	15.0
4	भार के आधार पर नाइट्रेट नाइट्रोजन का अधिकतम, प्रतिशत	1.5
5	कण आकार- पदार्थ का 90 प्रतिशत से अन्यून 1 मि०मी० और 4 मि.मी.भा०मा० छलनी से छन जाएगा और 1 मि.मी.भा०मा० छलनी पर रह जाएगा ।	

देश में कैल्शियम सायनामाइड का आयात करने का आशय रखने वाले आयातक द्वारा कैल्शियम सायनामाइड का आयात करने के लिए निम्नलिखित निबन्धनों एवं शर्तों का अनुसरण करना अपेक्षित होगा:-

- (i) प्रत्येक आयातक, उर्वरक की आवक की प्रत्याशित तारीख से पहले पन्द्रह दिन के भीतर

कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग और संबंधित राज्य, जिसमें वह आयातित उर्वरक के अवतारण का आशय रखता है, के निदेशक, कृषि को सूचित करेगा।

- (ii) आयातक, इस मंत्रालय तथा संबंधित राज्य के जिलों के नाम जिसमें वह सामग्री का विक्रय करना चाहता है, के निदेशक, कृषि को सूचित करेगा।
- (iii) उर्वरक की बोरियों पर, आयातक यह छापेगा कि यह सामग्री त्वचा और आंखों में जलन करने वाली है और इसे हाथों में दस्ताने पहन कर उपयोग करना होगा।
- (iv) प्रत्येक बोरी के साथ आयातक किसानों के उपयोग हेतु हाथ के दस्ताने रखेगा।
- (v) उर्वरकों की बोरियों, जिनमें सामग्री भरी जाती है में आयातक निम्नलिखित उपदर्शित करने वाली पर्ची रखेगा:-

- (क) उत्पाद के त्वचा के साथ सम्पर्क से बचें;
- (ख) संरक्षी कपड़े, दस्ताने पहनें;
- (ग) भोजन से पहले और उपयोग के बाद हाथ और खुली त्वचा को धोएं।

[फा. सं. 2-2/2012-उर्वरक विधि]

नरेन्द्र भूषण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 15th February, 2013

S.O. 383(E).— In pursuance of clause 20 of the Fertiliser (Control) Order, 1985, the Central Government hereby fixes the specifications of Calcium Cyanamide to be imported into India for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the purpose of sale of the same in India, for use of agriculture, namely:-

Calcium Cyanamide
Specifications:

(i)	Moisture per cent. by weight, maximum	1.0
(ii)	Total Nitrogen per cent. by weight, minimum	19.5
(iii)	Cyanamide nitrogen per cent. by weight, minimum	15.0
(iv)	Nitrate nitrogen per cent. by weight, maximum	1.5
(v)	Particle Size- Not less than 90 per cent. of the material shall pass through 4mm IS sieve and be retained on 1 mm IS sieve	

Every importer who intend to import the Calcium Cyanamide into the country is required to follow the following terms and conditions for importing the Calcium Cyanamide:-

- i) Every importer shall inform the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation and the Director Agriculture of concerned State in which he intends to discharge the imported fertiliser within fifteen days before the expected date of arrival of the fertiliser
- ii) The importer shall inform name of the districts of the State to the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation and Director Agriculture of the concerned State where they intend to sell the material.
- iii) On the bags of fertiliser, the importer shall print that the material is irritant to skin and eyes and the same shall be used by wearing gloves in hand.
- iv) Along with each bag, the importer shall pack the hand gloves for use of farmers.
- v) In the bags of fertilisers in which the material is packed, the importer shall provide a leaflet indicating the following:
 - a. Avoid contact of the product with skin;
 - b. Wear protective clothing and gloves;
 - c. Wash hands and exposed skin after work and before meal.

[F. No. 2-2/2012-Fert.Law]

NARENDRA BHOOSHAN, Jt. Secy.